

वर्तमान भारत में ग्रामीण नगरीय संपर्क सूत्र के गहनीकरण (मजबूत बनाने में) के लिए उत्तरदायी कारक :-

① विकास कार्यक्रम — आजादी के बाद भारतीय समाज के विकास के लिए योजनाबद्ध प्रयासों की शुरुआत हुई। विकास के लक्ष्य प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत उद्योगवाद और समाजवाद लाना। पंचवर्षीय योजनाओं की लागू किया गया। परिणामस्वरूप गाँव और जनजातीय क्षेत्रों में विकासखंडों की स्थापना की गई। इससे विकासखंडों जनजातियाँ और ग्रामवासी संबंधी नई संरचनाओं जैसे खंडविकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, आदि के संपर्क में आए। जब जनसहभागिता को विकास का आधार माना गया। विकासखंडों के मुख्यालय नगरों में ही हैं। परिवार नियोजन इन कार्यक्रमों का अभिन्न अंग है। इन सभी प्रयासों में नवीन विचारधाराओं और यंत्रों का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश हुआ तथा उनकी बाह्य जगत से अंतःक्रिया बढ़ी और गहरी हुई।

② नवीन संस्थाओं का प्रवेश :-

गाँवों में कुछ नवीन संस्थाओं का भी प्रवेश हुआ है। जैसे प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, स्कूल, मध्य यातायात के साधन, बिजली, और डीजल जैसे ऊर्जा के अजैविक साधन

इसके अतिरिक्त बैंकी की गतिविधियाँ भी गाँवों में बढ़ी हैं। स्पष्ट है कि ये सभी शहरी संस्थारं गाँव में भी नगरीय जीवनशैलियों का प्रभाव बढ़ा रही हैं। जनजातिय और ग्रामीण परंपरासं बिरकेने लगी है, उपर्युक्त तीनों इकाइयों के बीच अंतःक्रियारं गहन हो गई है। इन नवीन संस्थाओं के कर्मचारी प्रशिक्षित हैं और प्रायः शहरों में संबन्धित हैं। इनके क्षेत्रिय कार्यालय शहर में हैं जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीणों को अनेक बार इन कार्यालयों में जाना पड़ता है।

③ कल्याण संबंधी गतिविधियाँ :-

राज्य में जनजातियों अनुसूचित जातियों और भूमिहीन मजदूरों के उत्थान के लिए अनेक कल्याण की योजनासं बनायी गयी हैं। कुछ क्रांतिकारी कदम भी उठासं गय है जैसे 1955 में अस्पृश्यता की अपराध घोषित किया गया है। इसी प्रकार जमींदारी प्रथा का भी उन्मूलन किया गया है। सुरक्षात्मक मद्देमाव की नीति के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों और जातियों के लिए शिक्षा संस्थाओं में विधानसभाओं में तथा सरकारी सेवाओं में सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं बल्कि मकानों का था कुआँ आदि के लिए अनुदान तथा अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियों की भी व्यवस्था की गई है। भूमिहीन मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी लागू किया गया। इन सभी कल्याणकारी कदमों

ने परंपरागत सामाजिक संरचना पर प्रहार किया है और ग्रामीण नगरीय संपर्क सूत्रों की आवश्यकता को बढ़ावा दिया है।

(4) नवीन राजनीतिक प्रक्रियाएँ -

आजादी के बाद भारतीय संविधान में सार्वभौमिक व्यक्त मताधिकार पर आधारित प्रजातांत्रिक संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रकार चुनावों एवं दलगत राजनीति के आधार पर नवीन राजनीतिक प्रक्रियाओं का प्रादुर्भाव हुआ है। ये प्रक्रियाएँ लहर की भाँति जनजातियों और ग्रामीणों तक पहुँची हैं। अपने लिए आधार की खोज में राजनीतिक दलों ने जाति, नातेदारी, धर्म जैसी परंपरागत संरचनाओं का सहारा लिया है।

चीरे - चीरे इन परंपरागत संरचनाओं में भी राजनीतिक लामों को पहचाना है और उनका राजनीतिकरण हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में नए राजनीतिक गठबंधन उभरे हैं और ग्रामीण नगरीय अंतःक्रियाओं के लिए स्थायी आधार बन गए हैं। इसी क्षेत्र में राजनीतिक विकेंद्रीकरण की चर्चा भी आ सकती है।

पंचायती राज के तिमंजिले ढाँचे में गाँव को बाह्य जगत से संपर्क सूत्र दिया है। ग्राम पंचायत खंडविकास समिति से जुड़ी है और खंडविकास समितियाँ जिला परिषद से जुड़ी हैं। न्याय पंचायत एक से अधिक गाँवों को मिलाकर बनायी जाती हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी, जिसका कार्यालय जिला केन्द्र पर

होता है इन स्थानीय इकाईयों की दैरवमाल करता है।

ग्रामीण नगरीय अंतःक्रियाओं के इस व्यापक एवं गहनीकरण के परिणामस्वरूप नए सामाजिक संबंधों के प्रतिमाण स्थापित हुए हैं। कुछ नवीन सामाजिक समस्याओं का भी जन्म हुआ है इन अंतः क्रियाओं के परिणामस्वरूप जो संबंधों के जो प्रतिमान उमरे हैं वे सहयोगी भी हैं और शोषक भी हैं।